डिक्री व मुकदमें इब्लाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

बीनाराम बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 148 / 2016
पेश करने की दिनांक – 05.09.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई प्रतिवादी गोरधन गुर्जरं व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 1133, 1134, 1136, 1151, 1153, 1154, 1157, 1088, 1152 रकबा क्रमशः 0.07, 1.07, 0.56, 0.58, 0.24, 0.78, 0.05, 0.21 व 0.39 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर बद्रीलाल पुत्र श्योनाथ के हिस्से की आराजी का खातेदार वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज १५ माह दिसम्बर सन् 2020 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 148 / 2016

उनवान

बीनाराम मुतबन्ना बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी सुतरखाना मौहल्ला, नसीरावाद

—— वादी :—— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. अशोक कुमार पुत्र ब्रजलाल
3. महेश पुत्र ब्रजलाल
4. मुन्नी पुत्री ब्रजलाल
5. चन्द्रकला पुत्र बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें राज0 पैरोकार
2 से 5 स्वयं उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: निर्णय :— दिनांक :– 14.12.20

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश का निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 1133, 1134, 1136, 1151, 1153, 1154, 1157, 1088, 1152 रकबा क्रमशः 0.07, 1.07, 0.56, 0.58, 0.24, 0.78, 0.05, 0.21 व 0.39 की आराजी वादी के दत्तक माता–पिता की है। उक्त आराजी वादी के दत्ताक मता–पिता के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। वादी के दत्तक माता–पिता का स्वर्गवास हो गया है। उन्होने वादी को हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार गोद लिया था। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही की गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार गोद पुत्र होने के कारण वादी को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने पत्रावली में कोई साक्ष्य सलंग्न नही किये है जिससे वह गोद गया हुआ है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी
2. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थाई निषेघाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेज पेश किये एवं वादी बीनाराम के बयान करवाये।

प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रकरण में प्रतिवादी पक्षकार मुर्तिब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति जाहिर की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...नकी संख्या 1 व 2 :—

आराजी मुतनाजा दौलत कुमार, अशोक कुमार, महेशचन्द पि0 ब्रजलाल, बालाबक्ष, बंशीलाल, बद्रीलाल पि0 श्योनाथ व देवीलाल पि. किशनलाल के नाम दर्ज है। बंशीलाल के स्थान पर विरासत से बेनाराम पुत्र बंशीलाल व चन्द्रकला का नाम अंकित है। उक्त आराजी के मूल खातेदार ब्रजलाल व बंशीलाल के वारिसान ने वादी के तथ्य को स्वीकार किया है। बद्रीलाल की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। उसके हितबद्व वारिसान द्वारा वादी के नाम भूमि दर्ज करने में अपनी सहमती पेश की है जिस बाबत एक शपथ पत्र भी उनके द्वारा पेश किया गया है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उसके कथनों की ताईद होती है।

अतः ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 1133, 1134, 1136, 1151, 1153, 1154, 1157, 1088, 1152 रकबा क्रमशः 0.07, 1.07, 0.56, 0.58, 0.24, 0.78, 0.05, 0.21 व 0.39 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर बद्रीलाल पुत्र श्योनाथ के हिस्से की आराजी का खातेदार वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested